//प्रपत्र//

सत्र 2016–17 में प्रवेशित छात्रों की संख्या की कक्षावार जानकारी

महाविद्यालय का कोड :– 507

महाविद्यालय का नाम :– शासकीय महाविद्यालय बरपाली, जिला–कोरबा छ.ग.

कक्षा / विषय	सामान्य		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.		कुल		योग
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा	
बी.ए. भाग –एक	1	3	9	17	25	35	12	18	47	73	120
बी.ए. भाग – दो	1	0	4	7	21	27	11	10	37	44	81
बी.ए. भाग – तीन	0	0	5	11	7	13	14	11	26	35	61
बी.एस–सी. भाग– एक (बायो.)	1	1	7	11	17	29	17	17	42	58	100
बी.एस–सी. भाग– एक (गणित.)	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	3
बी.एस–सी भाग –दो	0	1	6	8	6	20	5	14	17	43	60
बी.एस–सी भाग–तीन	0	1	1	4	5	9	4	7	10	21	31
बी.कॉम. भाग–एक	0	0	4	1	2	5	11	1	17	7	24
बी.कॉम. भाग–दो	0	1	2	3	2	5	7	4	11	13	24
बी.कॉम. भाग –तीन	1	2	0	1	4	0	8	5	13	8	21
योग	4	9	39	63	89	143	91	87	223	302	525

PRINCIPAL
Govt. College, Barpali
Distt. - KORBA (C. G.)

PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, BARPALI
DISTT-KORBA (C.G.)

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001,
फोन : 07752–220031, फैक्स 07752–260294, ई–मेल : bilaspur.university2012@gmail.com,
वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

क्रमांक ...310......... / अका. / पात्रता / 2016 बिलासपुर,दिनॉक. 25/ 05 /16

प्रति,

1, समस्त विभागाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग
बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर(छ.ग.)

2, प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर(छ.ग.)

विषयः–विभिन्न स्नातक / स्नातकोत्तर / उपाधि / पत्रोपाधि (डिप्लोमा) कक्षाओं में सत्र 2016–17 हेतु प्रवेश के संबंध में ।

संदर्भः–वि.वि. का पत्र क्र.–379 / अका. / पात्रता / 2013 दिनांक 13.6.2013,पत्र क .620 / अका / .पात्रता दिनांक–03.06.2014 एवं 2043 / अका. पात्रता / 2015 बिलासपुर दिनांक 28.05.2015 ।

विषयांतर्गत अवगत हो कि छ.ग. राज्य स्थित विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालयों से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण तथा छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर के मान्य बोर्ड / छ.ग. में स्थित सी.बी.एस.ई. के अंतर्गत संचालित विद्यालयों से 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है। ऐसे छात्र / छात्राओं का नियमानुसार विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग / महाविद्यालय में प्रवेश / परीक्षा फार्म स्वीकार करना सुनिश्चित करें।

छ.ग. स्थित विश्वविद्यालय एवं स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक / स्नातकोत्तर / अधूरा पाठ्यक्रम एवं छ.ग. राज्य से बाहर अन्य विश्वविद्यालयों से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण तथा छ.ग. राज्य से बाहर बोर्ड 10+2 (बारहवीं) उत्तीर्ण कर आने वाले छात्र / छात्राओं को बिलासपुर विश्वविद्यालय से संबंद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश देने के पूर्व एवं स्वाध्यायी छात्र / छात्राओं के रुप में परीक्षा फार्म जमा करने से पूर्व विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालयों द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र के अभाव में स्वीकार किये गये परीक्षा आवेदन के लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिसके लिए पूर्व में प्रेषित संदर्भित पत्र के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

इसी प्रकार छ.ग. राज्य के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों से संबंद्ध स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक / स्नातकोत्तर कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं को इस विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अगली परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश न दिया जाएं। ऐसे छात्र / छात्राओं को निर्देश दे कि वे अपने अधूरे स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अपनी पूर्व अध्ययनरत् संस्था से ही पूर्ण करे ।

PRINCIPAL
Govt. College, Barpali
Distt. - KORBA (C. G.)

क्र.म.श.–2

07
02/06/16

08/11/2017

यह भी स्पष्ट करना है कि महाविद्यालयों के माध्यम से पात्रता आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। छात्र/छात्राओं को स्वयं बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर में उपस्थित होकर पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः जहां नियमानुसार पात्रता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है वहां बिना पात्रता प्रमाण पत्र के छात्र/छात्राओं को स्थाई अथवा अस्थाई प्रवेश न दिया जाए। यदि इन निर्देशों के विपरीत प्रवेश दिया जाता है,तो महाविद्यालय प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होंगें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृष्ठ. क्रमांक ..311.... /अका./पात्रता/2016 बिलासपुर, दिनांक ..25/..05.... /16

प्रतिलिपिः—

1- कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2- परीक्षा नियंत्रक, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3- समस्त विभाग प्रमुख की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सहा.कुलसचिव(अका.)

PRINCIPAL
Govt. College, Barpali
Distt. - KORBA (C. G.)

Mail

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लाक सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक– 112 / 228 / आउशि / समन्वय / 16 नया रायपुर दिनांक 13 / 05 / 16

प्रति,

1. कुलसचिव,
   समस्त विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य,
   समस्त अग्रणी महाविद्यालय
   छत्तीसगढ़।

विषय :– छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2016–17 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :– अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क. 4077 / 2282 / 2014 / 38–2 / 2014 / 38–2 रायपुर दिनांक 12.05.2016

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2015–16 हेतु जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत शैक्षणिक सत्र 2016–17 के लिए यथावत लागू होंगे।

कृपया आप अपने एव अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये, प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2016–17 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

(डॉ.किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर

पृ.क्रमांक– / 228 / आउशि / समन्वय / 16 नया रायपुर दिनांक / 05 / 16

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा बिलासपुर / जगदलपुर / अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर

PRINCIPAL
Govt. College, Barpali
Distt. - KORBA (C.G.)

P.T.O.—2—

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

पुराना हाईकोर्ट भवन, बिलासपुर (छ.ग.) 495001,
फोन : 07752–220031, फैक्स 07752–260294, ई–मेल : bilaspur.university2012@gmail.com,
वेबसाईट : www.bilaspuruniversity.ac.in

पृ. क्र. 293 /अका./2016 बिलासपुर दिनांक 17.05.2016

प्रतिलिपिः–

प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय,बिलासपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि सत्र 2015–16 का प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जो सत्र 2016–17 के लिये यथावत् लागू होंगे। विश्वविद्यालय के वेबसाईट **www.bilaspuruniversity.ac.in** में उपलब्ध है। कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कुलसचिव

PRINCIPAL
Govt. College, Barpali
Distt. - KORBA (C. G.)